न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–6/ विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट),
लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–340/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2399/2026
CNR UPLP01–005151–2026

पंकज आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र माता प्रसाद उर्फ माताराम निवासी ग्राम बेलवा डिंगरा, थाना लहरपुर, जिला सीतापुर।

------ आवेदक/ अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ---------- अभियोगी।

मु०अ०सं०–229/2026
अं०धारा–2(b)(i)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1986
थाना–मैंगलगंज, जनपद–खीरी।

दिनांक 24–07–2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/ अभियुक्त पंकज की ओर से म०अ०सं०–229/2026 अं०धारा–2(b)(i)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–मैंगलगंज, जनपद–खीरी के मामले में प्रस्तुत किया गाया हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त ने अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त उन्वान मुकदमें में प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/ अभियुक्त का उक्त तथा कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। दिखायी गयी घटना फर्जी व साजिशी है। प्रार्थी/ अभियुक्त ने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है, जिससे प्रार्थी पर उक्त तथा कथित अपराध बनता हो। प्रार्थी एक सीधा साधा शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा समाज में छवि अच्छी है, प्रार्थी/ अभियुक्त का कोई संगठित गिरोह नहीं है और न ही समाज में कोई भय व्याप्त है। प्रार्थी पर मात्र मु०अ०–सं०–175/2025 अं०धारा–309(6), 317(2) बी०एन०एस० थाना–मैगलगंज जिला–खीरी दर्ज है जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी/ अभियुक्त को थाना–मैगलगंज की पुलिस फर्जी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रार्थी का इस मुकदमें के अतिरिक्त अन्य कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही कोई अपराध कारित करके आर्थिक व भौतिक एवं बुनियादी लाभ प्राप्त किया है। प्रार्थी को मात्र रंजिश के आधार पर मु०अ०सं०–175/2025 अं० धारा–309(6), 317 (2) बी०एन०एस० थाना–मैगलगंज जिला–खीरी केस मे झूठा नामित किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्व में किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं है। प्रार्थी के घर पर थाना–मैगलगंज की पुलिस लगातार दबिश दे रही है प्रार्थी को थाना–मैगलगंज की पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है। प्रार्थी के न्याय से भागने की कोई सम्भावना नही है तथा जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भारत से बाहर नही जायेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त को उक्त केस में अपमानित करने की नियत व छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फर्जी फसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त जमानत पर मुक्त होने के पश्चात गवाहो को न तो डरायेगा और न ही धमकायेगा तथा उक्त केस के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर मुक्त होने के पश्चात अग्रिम जमानत सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को उक्त केस में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03.06.2026 को प्र०नि० सं– जीव कुमार सिंह मय हमराह हे०का० रामनयन सिंह, हे०का० देवेन्द्र सिंह यादव मय जीप सरकारी नं० UP31G0582 वै० चालक का० देवेन्द्र सिसौदिया के देख भाल शान्ति व्यवस्था थाना क्षेत्र में मामूर था कि जनता द्वारा अवगत कराया गया कि गैंगलीडर पंकज का सुसंगठित सक्रिय गिरोह है। इस गिरोह का अंशु तिवारी, रंजीत व छोटू सक्रिय सदस्य है। यह गिरोह समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त होकर लूट जैसे गम्भीर अपराधो में संलिप्त है। लूट से अपने व अपने साथियों के लिए आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु धनोपार्जन करते है। इस गिरोह के बारे में जानकारी की गयी, तो अभियुक्तों के विरूद्ध मु०अ०सं० 175/2025 अभियुक्त पंकज उपरोक्त के विरूद्ध धारा–309 (6)/317 (2) बी०एन०एस०, अंशु तिवारी, रंजीत उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–309(6) बी०एन०एस०, छोटू उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 309 (4)/317(2)/3(5) बी०एन०एस० थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी पंजीकृत है। इस गिरोह का संचालन गैंग लीडर पंकज करता है। इस गैंग का गैगंचार्ट जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इस गिरोह के विरूध्द थाना स्थानीय पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत है। इस गिरोह द्वारा किया गया कृत्य धारा 2(B)(i)/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2015 की परिधि में आता है। अभियुक्तो के विरूध्द गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के प्रथम दृष्टया विधिक आधार विद्यमान है। इस गिरोह का स्वच्छन्द रहना जनहित में उचित नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) के तर्कों को सुना तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त पंकज गैंग का गैंगलीडर है। गैंग चार्ट तथा अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त गैंग समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त होकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु चोरी व लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करता हैं। गिरोह की सक्रियता जनपदीय है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दण्डनीय अपराध है। यह मामला विशेष अधिनियम से संबंधित है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/ अभियुक्त पंकज का उक्त अपराध के अतिरिक्त अन्य चार आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है। यदि आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अपराध की प्रकृति, गम्भीरता व उसमें प्रार्थी/ अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त पंकज द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–340/2026, मु०अ०सं०–229/2026, अं० धारा–2(b)(i)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–मैंगलगंज, जिला–लखीमपुर खीरी निरस्त किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6,
लखीमपुर–खीरी।
JO CODE–UP1561

दिनांक: 24–07–2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.24 17:18:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court